भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3239
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई सुरक्षा संपरीक्षा

3239. श्री राजीव राय:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विमानों की सुरक्षा संपरीक्षा करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) निजी विमान कंपनियों द्वारा सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कड़ी निगरानी करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 के अहमदाबाद में हुए हादसे की जांच वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा की जा रही है। यह जांच, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अनुबंध-13 और वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली के अनुसार की जा रही है।

एएआईबी द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यह रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जांच अभी भी जारी है और दुर्घटना के सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है।

(ख) से (घ): नियमित आधार पर सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए विमानन सुरक्षा संवर्धन हेतु डीजीसीए द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) सभी विमान और हवाईअड्डा प्रचालकों को शामिल करते हुए नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए डीजीसीए के पास एक व्यवस्थित सुरक्षा निगरानी तंत्र है।

(ii) सुरक्षा निगरानी प्रक्रिया में नियामक ऑडिट, रात्रि निगरानी, रैंप निरीक्षण, स्पॉट चेक और विशेष ऑडिट शामिल हैं। डीजीसीए अपनी वेबसाइट पर वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) प्रकाशित करता है।

(iii) ऑडिट, निगरानी और स्पॉट चेक के निष्कर्षों के अनुपालन हेतु संबंधित प्रचालक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। उचित सत्यापन के पश्चात अवलोकनों को बंद कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, अगली ऑडिट/निगरानी के दौरान प्रचालक द्वारा की गई कार्रवाई के अनुपालन का सत्यापन किया जाता है।

(iv)ऑडिट/निगरानी के दौरान विनियमों के किसी भी उल्लंघन/गैर-अनुपालन का पता चलने पर, डीजीसीए द्वारा वित्तीय जुर्माने सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

(v) विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने और विमानन सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए व्यापक विशेष ऑडिट हेतु दिनांक 19 जून 2025 का डीजीसीए सामान्य सुरक्षा परिपत्र 01/2025 लागू किया गया है।

(vi) इसके अतिरिक्त, डीजीसीए ने विशिष्ट परिचालन नियमों की पूर्व तैयारी और समय पर अनुपालन के संबंध में दिनांक 11 दिसंबर, 2025 का सामान्य सुरक्षा परिपत्र 02/2025 जारी किया है।

******